# FIRST INFORMATION REPORT
## (Under Section 154 Cr.P.C.)

## प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत )

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2022

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0020 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/08/2022 15:44 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 218 |
| 3 | IPC 1860 | 409 |
| 4 | IPC 1860 | 420 |
| 5 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |
| 6 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 30/10/2014 **Date To (दिनांक तक):** 30/08/2022

**Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/08/2022 **Time (समय):** 14:48 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/08/2022 14:48 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 65 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

**(b) Address (पता):** भौर सैदा,पेहवा, जिला कुरूक्षेत्र

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

**District (State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** महिला निरीक्षक बिमला देवी

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1966 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की दिनांक):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | **Present Address** | **राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA** |
| 2 | **Permanent Address** | **राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA** |

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

**7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ए.पी.एस. बक्शी अधीक्षक अभियन्ता | | | 1. हैफड़ विभाग,कुरूक्षेत्र, KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 2 | राजीव जैन कार्यकारी अभियन्ता | | | 1. लोक निर्माण,विभाग, KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 3 | सुमित उप मण्डल अभियन्ता | | | 1. एसडी,ई,हैफड़, KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 4 | विभोर नागपाल कनिष्ठ अभियन्ता | | | 1. हैफड़,विभाग KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 5 | राजेश सिरोही कनिष्ठ अभियन्ता | | | 1. हैफड़,विभाग KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 6 | राजवीर आंडिटर | | | 1. हैफड़,विभाग, KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 7 | प्रेम एस.ओ. | | | 1. हैफड़,विभाग, KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA |
| 8 | शशांक गर्ग मालिक मैसर्ज गर्ग कन्ट्रक्शन | | | 1. हैफड,विभाग,ACB,Ambala,Anti Corruption Bureau,Haryana,HARYANA,INDIA |

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

**9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

| S. No. (क्र.सं.) | Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

**11.**

**Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
| --- | --- |

**12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
प्रबंधक अफसर,
थाना राज्य चौकसी ब्यरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।
श्री मान जी,

निवेदन है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग का पृष्ठांकन क्रमांक 65/39/2018-5 चौकसी-1 दिनांक 25.07.2022 महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांक 12502/आई-3/रा.चौ.ब्यु (ह) दिनांक 02.08.2022 कार्यालय उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 913 दिनांक 03.08.2022 अनुसार अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये हैं, जो मामला इस प्रकार से है -- ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फ्रंट (रजि.) इंडिया द्वारा दी गई एक शिकायत महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला को प्राप्त हुई जिसमे आरोप था कि, जिला कुरुक्षेत्र में 26380 एमटी क्षमता के गोदामों (बिना छत के) एल वर्क्स, सीसी रोड, बाउंड्री वॉल इत्यादि के निर्माण कार्य मैसर्ज गर्ग कन्सट्रकशन कम्पनी, 207/19, विवेकानंद नगर, जीन्द को द्वारा हैफेड कुरूक्षेत्र के अधिकारियों / कर्मचारियों की देख-रेख में किया जा रहा था। कम्पनी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में अनियमितताओं और खराब गुणवत्ता के सम्बंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र क्रमांक 4885/शिकायत/111/अम्बाला/2016 दिनांक 25.04.2016 अनुसार स्पैशल चैकिंग हेतू तकनीकी शाखा, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला को प्रेषित की गई थी।

जिस पर श्री सुरेश पाल सैनी, कार्यकारी अभियन्ता, तकनीकी शाखा, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला द्वारा दिनांक 22.08.2016 को निरीक्षक संजीव कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरूक्षेत्र श्री राजीव जैन, कार्यकारी अभियन्ता, श्री विभव नागपाल, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री राजेश सिरोही, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री शंशाक गर्ग, प्रतिनिधि मैसर्ज गर्ग कन्सट्रकशन कम्पनी व श्री सुरजीत सिहं प्रतिनिधि शिकायतकर्ता की उपस्थिती में कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया तथा किये गये कार्य की गुणवता / क्षमता जांचने के लिए मौका से निर्माण सामग्री के 15 नमूने लिए गये सभी नमूने परीक्षण हेतू न्यायावैदिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल में भेजे गये । जो न्यायावैदिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन, करनाल से क्रमांक 16/Phy/5272 dated 30.04.2018 अनुसार नतिजा रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री सुरेश पाल सैनी, कार्यकारी अभियन्ता, तकनीकी शाखा, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.09.2018 को महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला को प्रस्तुत की इसके बाद महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला द्वारा प्राप्त रिपोर्ट उपरांत अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक न० 15181 दिनांक 23.10.2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा चौकसी विभाग को रिकवरी करने बारे व श्री ए.पी.एस. बक्शी एस.ई, राजीव जैन एक्सीयन ,लोक निर्माण विभाग ,श्री सुमित एस.डी,ई. विभोर नागपाल जे.ई, राजेश सिरोही जे.ई. राजवीर आंडिटर, श्री प्रेम एस.ओ. सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों व मेसज शशांक गर्ग फर्म के विरुद्व धारा 218,409,420,120 बी भा.द. स. व 13(1)सी.व डी. पी.सी.एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने बारे लिखा गया था इसके उपरांत प्रबंधक निदेशक हैफेड ने पत्र क्रमांक हैफेड/ईई (मुख्यालय)/ए-1/770-772 दिनांक 22.03.2019 अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को सूचित किया कि राज्य चौकसी ब्यूरो की तकनीकी राय के अनुसार ठेकेदार से 2.22 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। इसके साथ-साथ उक्त कार्यालय द्वारा ईंटों, सीमेंट ,मसाला और सीमेंट प्लास्टर के नमूनों की दोबारा जांच कराने का भी अनुरोध किया। प्रबंधक निदेशक, हैफेड का उक्त पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव के पृष्ठांकन क्रमांक 65/39/2018 -5 चौकसी-1 दिनांक 25.04.2019 के माध्यम से कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला को प्रप्त होने पर महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा ने 15 नमूनों में से पुन: निरीक्षण करने की अनुमति दी गई । तत्पश्चात कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा पत्र क्रमांक 405/XEN/SVB(H) दिनांक 27.05.2019 अनुसार 06 नमूनों का दूसरा सैट पुनः परीक्षण हेतू न्यायवैदिक विज्ञान

प्रयोगशाला,मधुबन में भिजवाने हेतू पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला को पुनः हेतु भिजवाने बारे निर्देश दिए गये जिस पर उक्त 06 नमूनों के दूसरे सैट की पुनः/ Re-testing के लिए न्यायवैदिक विज्ञान प्रयोगशाला,मधुबन करनाल भिजवाये गये पुनः/ Re-testing परीक्षण नतिजा रिपोर्ट न्यायवैदिक विज्ञान प्रयोगशाला,मधुबन के क्रमांक 19/Phy/3649 dated 07.11.2019 प्राप्त पर श्री सुरेश पाल सैनी, कार्यकारी अभियन्ता, तकनीकी शाखा, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला ने अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट न० 70 /XEN dt 3 /02/2020 के अनुसार जिसमे लिखा है कि, After the receipt of test results of 2ndset of samples, the technical report already submitted vide memo No.713/XEN/SVB (H) dated 24.09.2018 has been re - casted and modified to the extent of test results of six nos, failed samples. Remaining part of the report has been reproduced. The modified technical report is given below : (A) From the record, it has been revealed that the above noted work was allotted to M/s Garg Construction Company and rates were approved by the competent authority. (B) The work was executed in the incumbency of Sh. A.P.S. Bakshi, SE, R.S.Bedi, EE , Rajeev Jain, EE, Sat Kartar, SDE, Sumit, SDE, Vibhore Nagpal, JE, Rajesh Sirohi, JE . (C) The executed work was measured /entered in the measurement books by the JE's and checked by the SDE. JE's /SDE prepared 1st running bill to 8th running bills of the executed work. After fully satisfying himself with the quality and quantity, Executive Engineer, preaudited/passed CC 1st running bill to 8th running bills. Work done upto 8th running bill was preaudited and paid for Rs. (8,00,37,347/- 25,26,862/- Secured advance) 8,25,64,209/-. (D) Hafed has got tested the materials from National Institute of Technology, Kurukshetra and Public Health Engineering Department, Haryana for quality of control of the work. (E) To check, the quality of the work executed, fifteen nos. representative samples were taken at random by the SVB team and sent to the Director, Forensic Science Laboratory, Haryana, Madhuban for testing . The test results received on 10.05.2018 from the Director, Forensic Science Laboratory, Haryana, Madhuban vide his report (opinion) No. 16/ Phy - 5272 dated 30.04.18 as below:-

(1) Measurements were checked at site and it was found that 610.11 cum brick work was paid to the agency in excess to the executed at site. So cost of 610.11 cum of brick work, amounting to Rs.17,59,771/ - may be recovered from the agency and a Criminal action under section 218, 409, 420, 120-B IPC and 13 (1) (d) and 13 (1) ( C ) of P.C.Act. be initiated against Sh. A.P.S.Bakshi, SE, Rajeev Jain, EE, Sumit, SDE, Vibhore Nagpal, JE, Rajesh Sirohi, JE and Shashank Garg Prop. M/s Garg Construction Company, for making fraudulent payment for brick work, which is in excess of actual brick work.

(2) Similarly 2.143 Qtl of Steel/reinforcement was also paid to the agency in excess to the executed at site. So cost of 2.143 Qtl of steel, amounting to Rs.11,850/- may be recovered from the agency and a Criminal action under section 218, 409, 420, 120-B IPC and 13 ( 1 ) ( d ) and 13 ( 1 ) ( C ) of P.C.Act. be initiated against Sh. A.P.S. Bakshi, SE, Sumit, SDE, Vibhore Nagpal, JE, Rajesh Sirohi, JE , and Shashank Garg Prop . M/s Garg Construction Company, for making fraudulent payment for steel/reinforcement, which is in excess.

(3) During scrutiny of the measurement books, it was observed that 1,39,483.40 cum of earth was paid against the provisions of 63896.68 cum in the DNIT and actual execution at site as 44927 cum. Hence, 139483.40 - 44927 94556.40 cum of earth, amounting to Rs.1,56,01,806/- was paid in excess to the work done by the agency, which may be recovered from the agency and a Criminal action under section 218, 409, 420, 120-B IPC and 13 ( 1 ) ( d ) and 13 ( 1 ) ( C ) of P.C.Act. be initiated against Sh. A.P.S.Bakshi, SE, Sumit, SDE, Vibhore Nagpal, JE, Rajesh Sirohi, JE , Rajbir Auditor, Prem S.O.and Shashank Garg Prop. M/s Garg Construction Company for making fraudulent payment for earth work, which is in excess of actual earth filling done at site.

(4) Similarly disposal/dewatering of huge quantity of rain water was paid to the agency, which was neither admissible nor feasible. Bailing out of rain water is the responsibility of agency, as per PWD specification. Quantum of water shown bailed out was arbitrary, fictitious and not feasible as per site conditions. Further more, 24654.96 cum of sludge was also shown to be removed from site, which is also a fictitious entry in the measurement book. There was no provision of such items in the approved DNIT and these were neither executed nor admissible as per site conditions. So the amount of these items (Rs.2804501 1232748 ) Rs.40,37,249/- may be recovered from the agency and a Criminal action under section 218, 409, 420, 120-B IPC and 13 ( 1 ) ( d ) and 13 ( 1 ) ( C ) of P.C.Act. be initiated against Sh. A.P.S.Bakshi, SE, Sumit, SDE, Vibhore Nagpal, JE , Rajesh Sirohi, JE, Rajbir Auditor, Prem S.O. and Shashank Garg Prop. M/s Garg Construction Company for disposal / dewatering of rainwater and sludge which is fraudulent being beyond the terms of contract as well as fictitious as per site conditions. रिपोर्ट कार्यालय के पत्र क्रमांक 3643 दिनांक 17.03.2022 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भिजवाई गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पृष्ठांक क्रमांक 65/39/2018-5 चौकसी-1 दिनांक 25.07.2022 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांक क्रमांक 12502/I-3/रा.चौ.ब्यु (ह) दिनांक 02.08.2022 व कार्यालय उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 913 दिनांक 03.08.2022 अनुसार के श्री ए.पी.एस. बक्शी एस.ई, राजीव जैन एक्सीयन, लोक निर्माण विभाग, श्री सुमित एस.डी,ई., विभोर नागपाल जे.ई, राजेश सिरोही जे.ई. राजबीर आंडिटर, श्री प्रेम एस.ओ. सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों व मेसज शशांक गर्ग फर्म मालिक के विरुद्ध धारा 218, 409, 420, 120बी भा.द. स. व 13(1) सी.व डी. पी.सी.एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं ।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर श्री ए.पी. बक्शी एस.ई, श्री राजीव जैन ई.ई. श्री सुमित एस.डी,ई. श्री

विभोर नागपाल जे.ई, श्री राजेश सिरोही जे.ई. श्री राजवीर आंडिटर, श्री प्रेम एस.ओ. व मालिक, मेसज शशांक गर्ग फर्म कंस्ट्रकशन के द्वारा अलग-अलग निर्माण कार्यो में क्रमशः उक्त 17,59,771/-रूपये, 11,850/-रूपये, 1,56,01,806/-रूपये व 40,37,249/-रूपये कुल 2 करोड़ 14 लाख 10 हजार 676 रूपये का गबन होना पाया जाने पर आरोपीगण (1) ए.पी.एस. बक्शी एस.ई, (2) राजीव जैन एक्सीयन ,लोक निर्माण विभाग ,(3) सुमित एस.डी.ई. (4) विभोर नागपाल जे.ई, (5) राजेश सिरोही जे.ई. (6) राजवीर आंडिटर, (7) प्रेम एस.ओ. सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों व (8) शशांक गर्ग मालिक, मेसज गर्ग कंस्ट्रकशन कम्पनी तथा उसकी कम्पनी मेसज गर्ग के विरूध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख लिख कर हवाले मोहरर थाना किया गया और अभियोग अंकित करने उपरान्त अभियोग फाईल मय असल तहरीर मन महिला निरिक्षक के पास भिजवाई जावे व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्टेट, उच्चअधिकारियो, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग, प्रशासकीया विभाग (सहकारिता) लोक निर्माण सम्बन्धित विभाग को भिजवाई जावे।

महिला निरिक्षक बिमला देवी<br>
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो<br>
अम्बाला मण्डल अम्बाला<br>
दिंनाक 30.08.2022

अज थानाः- लिखित लेख उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 13708/आई-3/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 26.08.2022 व कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 1005 दिनांक 29.08.2022 अनुसार थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 20 दिनांक 30.08.2022 बाजूर्म उपरोक्त थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट सि. कृष्ण कुमार न. 226/कुरूक्षेत्र के निजद ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कुरूक्षेत्र व उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड निजद अनुसंधानकर्ता महिला निरीक्षक बिमला देवी, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BIMLA DEVI **Rank (पद):** I (Inspector)

**No. (सं.):** 1127AMB **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)**

**R.O.A.C.**
**(आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station**
**(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम):** ajay

**Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

**No. (सं.):** hps

**14.** **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

**15.** **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.